ज हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व वाद संख्या 01/2019 अनवान भोमाराम बनाम पीराराम
14.02.2019	वादीगण की ओर से वकील श्री भोमाराम सियाग द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व वाद संख्या 01/2019 में पारित निर्णय व डिकरी दिनांक 21.01.2019 में वादी संख्या 07 हीरोदेवी पुत्री पीराराम के स्थान पर हीरोंदेवी पत्नी पीराराम अंकित हो गया है। उक्त त्रुटी लिपिकीय त्रुटी है जिसे दुरूस्त कर शुद्ध हीरोंदेवी पुत्री पीराराम डिकरी मे अंकित करवाने के आदेश प्रदान करावें।

आवेदन पर वकील वादीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादी संख्या 07 हीरोदेवी पुत्री पीराराम के स्थान पर हीरोंदेवी पत्नी पीराराम अंकित हो गया है, जो शुद्धियोग्य है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 01/2019 में पारित डिकरी दिनांक 21.01.2019 में वादी संख्या 07 हीरोदेवी पत्नी पीराराम के स्थान पर हीरोंदेवी पुत्री पीराराम शुद्ध किया जाता है। तदनुसार संशोधित डिकरी पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व रेकड में अमल दरामद करे। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। आवेदन सुमार फैसल होकर मूल वाद के संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner